न्यायालयः–अंचल अधिकारी बोड़ाम

वाद संख्याः–04/2025

चन्द्रशेखर कुम्भकार बनाम सतीश सिंह लाया

आदेश

इस वाद में प्रथम पक्ष श्री चन्द्रशेखर कुम्भकार पिता–स्व0ज्योति कुम्भकार ग्राम–बड़ासुसनी बोड़ाम द्वारा विवादित भूमि मौजा–बड़ासुसनी थाना सं0–95 खाता सं0–389 प्लॉट सं0–1841,1884,1885,1886रकवा कमशः0.19ए0,0.31ए0, 0.30ए0,0.35ए0 कुल रकवा–2.15ए0 निजी भूमि को द्वितीय पक्ष सतीश सिंह लाया पिता–श्रीचरण सिंह लाया ग्राम–बड़ासुसनी द्वारा अवैध रूप से दखल कब्जा करने का आपत्ति आवेदन किया गया है। प्राप्त अपत्ति आवेदन के आलोक में कार्यवाही प्रारंभ की गई दोनों पक्षो को प्रश्नगत भूमि से संबंधित राजस्व दस्तावेज के साथ दिनांक–20.05.2025 को कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने का दिनांक–06.05.2025 को नोटिस निर्गत किया गया। निर्गत नोटिस के अनुसार निर्धारित तिथि को दोनों पक्षो ने प्रश्नगत भूमि से संबंधित अपना अपना राजस्व दस्तावेज के साथ जवाब दाखिल किया।

प्रथम पक्ष द्वारा 1964 के सर्वे खतियान के आधार पर उपरोक्त भूमि का दावा किया जा रहा है। खाता सं0 389 के सर्वे खतियान में खतियानी रैयत–शिवचरण कुम्हार व बलराम कुम्हार के नाम दर्ज है एवं प्रथम पक्ष चन्द्र शेखर कुम्भकार खतियानी रैयत शिवचरण कुम्हार व बलराम कुम्हार के वंशज है। किन्तु वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल कब्जा नहीं है।

द्वितीय पक्ष द्वारा भी उपरोक्त भूमि पर दावा किया जा रहा है। द्वितीय पक्ष ने राजस्व दस्तावेज के साथ लिखित कथन भी दर्ज किया है जिसमे उल्लेख किया है कि 1911 के सर्वे खतियान में मौजा–बड़ासुसनी खाता सं0–104 प्लाट सं0–545,554 का खतियानी रैयत द्वितीय पक्ष के पूर्वज थे, तथा अपने लिखित कथम में यह भी उल्लेख किया है कि कालान्तर में 1911 के सर्वे खतियान का प्लॉट नं0–545,554 ही 1964 में प्रकाशित सर्वे खतियान के खाता नं0–389 प्लॉट सं0–1841,1884,1885,1886 के रूप में दर्ज हुआ है।

अंचल कार्यालय में 1911 के सर्वे खतियान में दर्ज प्लॉट सं0–545, 554 का नये सर्वे खतियान(1964) से मिलान करने का कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है। वर्तमान में उपरोक्त प्रश्नगत भूमि पर द्वितीय पक्ष का पूर्वजो से दखल कब्जा है। जिसके आंशिक भू–भाग में द्वितीय पक्ष का पक्का संरचना भी बना है। जिसमें द्वितीय पक्ष सपरिवार निवास करते है।

अतः उपरोक्त मामला रैयती खाते की भूमि का स्वत्व निर्धारण से संबंधित है। जौ इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही आता है। उभय पक्ष स्वत्व निर्धारण हेतु व्यवहार न्यायालय में वाद दायर करें। इसके साथ ही वर्तमान वाद की कार्रवाई बिना किसी प्रभावकारी आदेश के समाप्त की जाती है।

लेखापित व संशोधित

08/07/25

अंचल अधिकारी
बोड़ाम

08/07/25

अंचल अधिकारी
बोड़ाम

Digitally signed by RANJIT KUMAR RANJAN
Date: 2025.08.12 13:32:01 +05:30
Location: 192.168.137.1

CamScanner